

<p>तारीख हुकम</p>	<p>TA/ 297/2016 हुकम या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तारीख में जारी हुए</p>
<p>2.8.17</p>	<p>पञ्जावली पेश हुई। समयपक्ष उपस्थित। प्रत्यर्ण सं. 1 से 8 की ओर से 017 श्री तावेश सुवाणा मय ने दी है। प्रत्यर्ण सं. 11 व 12 के सम्मन पुनः पेश करने पर जारी करे। P.O. ला. के निर्देशाद्वारा सूरी में जारी किये गये सम्मन आदेश की अवधि आगामी पेशी दि. 5.10.17 तक बढ़ाई जाती है। P.O. ला. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से पञ्जावली नोटिस इंतजामी में दि. 5.10.17 को पेश हो <u>गया</u></p>	<p>प्रत्यर्ण सं. 1 से 8 तक की ओर से Rakesh sunanda</p>
<p>5.10.17</p>	<p>पञ्जावली पेश हुई। समयपक्ष उपस्थित। प्रत्यर्ण सं. 11 व 12 के सम्मन आज पेश किये। बिहेन जारी किये जावे। सूरी में जारी सम्मन आदेश की अवधि आगामी पेशी दिनांक 14.11.17 तक बढ़ाई जाती है। पञ्जावली नोटिस इंतजामी में दि. 14.11.17 को पेश हो <u>गया</u></p>	
<p>14.11.17</p>	<p>पञ्जावली पेश हुई। अधिवक्ता समयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलवादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जिसे कि अधिवक्ता न्यायालय के अपीलवादी के आदेश की अपील पूर्व के अधिवक्ता C.P. जोशी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उनके द्वारा अकाउन्ट नही काया गया एवं बाल-बा-रुखेन पर भी अपील न करे में जानकारी नष्ट हो गई। अपीलवादी गण अतपद होने से द्वितीय अपील पेश कला लागती। अधिवक्ता श्री (मू) सोडवाजिया को भी अपीलवादी ने पूर्व अपील प्रस्तुत की जोव में जानकारी नहीं देना। अधिवक्ता न्यायालय हाजा के एक ही अपीलवादी जिसकी को अपील वांछित। अतः पूर्व में भी अपील प्रिया (अथवा) उनके उक्त अपील को पांशु किये जाते हैं। उक्त अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रत्यर्ण गण में जारी अपिल नही है। अतः उक्त अपील 5. 297/2016 में कार्यवाही शेष किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। <u>निर्णय</u></p>	<p>पञ्जावली पेश की Rakesh sunanda Pranmis</p>